



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

6

No. HQ/PIO/RTI/260/15

Date: 16.09.2015

Sh. Udai Pratap Singh,

A-2433, Avas Vikas Hanspuram,
Naubasta, Kanpur, U.P.,
Pin-208021.



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. 05.07.2015, received in this office on 14.07.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

क. सं.	मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना
1.	उपरोक्त रेल मार्ग का निर्माण कार्य किस तिथि/माह/वर्ष में प्रारम्भ कराया गया था तथा निर्माण कार्य किस-2 जिले के अन्तर्गत आता है- जिलों नाम की सूचना के साथ निर्माण एजेंसी को जारी कार्यादेश की प्रतिलिपि प्रदान करें।	भाउपुर-खुर्जा माल भाड़ा परियोजना की सर्विंदा के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि मार्च 2013 है। विभिन्न निर्माण स्थलों पर भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ की तिथि भिन्न-2 है। निर्माण कार्य निम्नलिखित जिले आते हैं:- 1. अलीगढ़ 2. हाथरस 3. आगरा 4. फिरोजाबाद 5. इटावा 6. कानपुर देहात 7. औरैया 8. बुलनदशहर निर्माण कार्य EPC, (Engineering Procurement Construction) कार्यप्रणाली के तहत टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। Contract Agreement (तीन नं.) की प्रतिलिपि अनुमानित 7101 पन्नों की है। अतः आप द्वारा किसी भी कार्यदिवस में पर्याप्त पूर्व सूचना के उपरांत सीपीएम/टुन्डला कार्यालय में उपस्थित रह कर अवलोकन किया जा सकता है।
2.	अर्थवर्क व ब्लेकेटिंग कार्य हेतु मिट्टी उत्खनन से पूर्व क्या डी.एफ.सी.सी. द्वारा संबंधित जिलों के जिला प्रशासन से अनुमति/एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली थी - सूचना के साथ सत्यापित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायें।	डी.एफ.सी.सी. ने यह कार्य EPC कार्यप्रणाली के तहत टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) को करने हेतु तथा साई-टिप्सा को निरीक्षण करने हेतु दिया है। निर्माण कार्य में वैधानिक अनुमति/एन.ओ.सी. की प्राप्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) की है तथा उसके सत्यापन की जिम्मेदारी साई-टिप्सा की है। यह प्रतिलिपियाँ टाटा-अल्डेसा(जे.वी.) तथा साई-टिप्सा के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिसे आप द्वारा किसी भी कार्यदिवस में पर्याप्त पूर्व सूचना के उपरांत सीपीएम/टुन्डला कार्यालय में उपस्थित रह कर अवलोकन किया जा सकता है।




ED 88390815 5 IN



3. अनुमति के बाद उक्त जिलों के खनन विभाग के खातों में क्या नियमानुसार निर्धारित रायल्टी जमा करायी थी - सूचित करें कि जून 2015 तक किस-2 जिले के अन्तर्गत कितने-2 लाख घ.मी. मिट्टी उत्खनित करके प्रयुक्त की जा चुकी है।	निर्माण कार्य में वैधानिक अनुमति/एन.ओ.सी. की प्राप्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) की है तथा उसके सत्यापन की जिम्मेदारी साई-टिप्सा की है उक्त जानकारी टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) तथा साई-टिप्सा के उपलब्ध है, जिसे आप द्वारा किसी भी कार्यदिवस में पर्याप्त पूर्व सूचना के उपरांत सीपीएम/टुन्डला कार्यालय में उपस्थित रह कर अवलोकन किया जा सकता है।
4. प्रयुक्त की गयी मिट्टी के सापेक्ष किस-2 जिले के लिए कितनी-2 धनराशी रायल्टी के रूप में जमा की गयी है तथा किस-2 तिथि में, प्रत्येक जिले का जिलेवार अलग-अलग उल्लेख करते हुए ब्योरे की सत्यापित प्रतियाँ उपलब्ध करायें।	निर्माण कार्य में वैधानिक अनुमति/एन.ओ.सी. की प्राप्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) की है तथा उसके सत्यापन की जिम्मेदारी साई-टिप्सा की है उक्त जानकारी टाटा-अल्डेसा (जे.वी.) तथा साई-टिप्सा के उपलब्ध है, जिसे आप द्वारा किसी भी कार्यदिवस में पर्याप्त पूर्व सूचना के उपरांत सीपीएम/टुन्डला कार्यालय में उपस्थित रह कर अवलोकन किया जा सकता है।
5. डी.एफ.सी.सी. ने संबन्धित जिलों को क्या कोई ऐसा अधिकृत पत्र हस्तगत कराया है कि जिसके रहते जिला प्रशासन से अनुमति लेने, रायल्टी जमा करने की आवश्यकता शेष न रह जाती हो-संदर्भित पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	डी.एफ.सी.सी. ने सम्बन्धित जिलों को कोई अधिकृत पत्र हस्तगत नहीं कराया है कि जिसके रहते जिला प्रशासन से अनुमति लेने, रायल्टी जमा करने की आवश्यकता शेष न रह जाती है।

In case, you are not satisfied with the information provided herewith you may prefer an appeal within 30 days as provided in the Act to the **Appellate Authority, GGM/Admn, DFCCIL, New Delhi.**


(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to :-

1. CPIO-131 & DD(PG), Railway Board - in reference to Board's letter No. MORLY/R/2015/66353 dt. 06.07.2015.
2. CPM/Tundla